अन्य पिछड़े वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) क गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन–पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देशः–

- सर्वप्रथम अपने इण्टरनेट ब्राउजर (Browser) में http://backwardwelfare.up.nic.in/ टाइप करें।
- विवाह हेतु अनुदान के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
- सभी प्रविष्टियॉ अंग्रेजी भाषा में भरी जायेंगी।
- आवेदन पत्र में आवेदन से सम्बन्धित प्रविष्टियों को दिये गये पोर्टल पर भरते हुए आवेदक के फोटो, हस्ताक्षर/अगूंठा निशान, पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तथा पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र यथा परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति/शैक्षिक रिकार्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- आश्रित लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर/अगूंठा निशान केवल .jpeg file जो 20 kb से ज्यादा न हो, को अपलोड किया जायेगा।
- पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र केवल pdf file जो 40 kb से ज्यादा न हो, को अपलोड किया जायेगा।
- आवेदक के आवेदन पत्र की उक्तानुसार सही प्रविष्टि भरकर संरक्षित कराने के उपरान्त फाइनल प्रिन्ट लिया जायेगा तथा उसके साथ समस्त संलग्नकों की सत्यापित छाया प्रति के साथ अनिवार्यतः तीस कार्य दिवस के अन्दर संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी।
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा जिला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिये जाते हैं तो ऐसे आवेदन को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदकों को तहसील द्वारा आन–लाइन निर्गत जाति/आय प्रमाण–पत्र का क्रमांक आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

- इस योजना में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है।
- शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन–पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
- योजना में विधवा एवं विकलांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य हैं।
- अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों/वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान हेतु अर्ह नहीं होंगे। ऐसे समस्त आवेदक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना से आच्छादित होंगे।
- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- पुत्री की उम्र प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की नकल/शिक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की छाया प्रति अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य है।
- एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी।